

55

प्रेषक,

जगजीत सिंह  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

✓ महा निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 2 जनवरी, 2003

विषय:- सेलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में वेटलीज के आधार पर उपकरणों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4794/71-1-02-जी-126/2002 दिनांक 1 जनवरी, 2002 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय सेलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा उपचार/परीक्षण हेतु मंहगे उपकरणों यथा सी0टी0स्कैन, एम0आर0आई0, कूलर डाक्टर आदि की स्थापना हेतु शासन द्वारा पूर्व में समय-समय पर धनराशि स्वीकृति की जाती रही है। किन्तु प्रदेश की विद्यमान आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक मंहगे उपकरणों की स्थापना की जाय। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सम्बन्धित विद्यारोपरान्त सभी राजकीय सेलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में वेटलीज के आधार पर मंहगे चिकित्सा उपकरणों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके कार्यान्वयन हेतु महा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1- महा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण-     | अध्यक्ष |
| 2- संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य-        | सदस्य   |
| 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण- | सदस्य   |
| 4- संबंधित कॉलेज के विषय विशेषज्ञ/विभागाध्यक्ष-   | सदस्य   |

2- महा निदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कराकर टेण्डर आमंत्रित किए जायेंगे। जिनका परीक्षण करके उपकरणों का चयन एवं स्थापना की कार्यवाही उक्त समिति द्वारा पूर्ण की जायेगी।

भवदीय,

जगजीत सिंह  
सचिव

...2/-

संख्या-एस०एम०-०१॥१॥७१-१-०३-तद्दिनांक

-----

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- ॥१॥ प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर तथा इलाहाबाद ।
- ॥२॥ वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ॥३॥ वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज ।
- ॥४॥ निजी सचिव, भा० गंगी चिकित्सा शिक्षा/निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा के सूचनार्थ ।
- ॥५॥ चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२, ३, ४

आज्ञा से,

॥ श्री०एम० सिंह ॥

उप सचिव